भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

(हबीबगंज डेयरी प्लांट भोपाल)

(म.प्र. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत)

(पंजीयन क्रमांक/बी.पी.एल./एच.ओ./159 दिनांक 9.12.1977)

हबीबगंज डेयरी संयंत्र हबीबगंज भोपाल – 462024 म0प्र0 (भारत)

क्रमांक/ /भोदुसं/प्रशा/24 दिनाँक /03/2024

:: जाहिर सूचना ::

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत जारी विज्ञापित पदों में से भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर म.प्र. की विशेष आदिम जनजाति बैगा, सहारिया/सहरिया तथा भारिया के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 07.03.2024 को किया जाना है। उक्त दस्तावेज सत्यापन की सूचना चयनित अभ्यर्थियों को उनके निवास स्थान के पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, साथ ही भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की वेबसाईट www.sanchibhopal.com एवं एमपीसीडीएफ की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर भी दस्तावेज सत्यापन की सूचना अपलोड कर संबंधितों को सूचित किया जा चुका है।

साथ ही उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों, जो दिनांक 04.03.2024 को हुए दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं, के दस्तावेजों का भी मूल दस्तावेजों से सत्यापन दिनांक 07.03.2024 को किया जाना है।

अतः उक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में वेबासाईट पर अपलोड जीवन वृत्त (बायोडाटा) को दो प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर आपके द्वारा आवेदित पद हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, जाति प्रमाण–पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक/विकलांग प्रमाण–पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण–पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, फोटो युक्त आईडी आदि दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान/सत्यापन कराने हेतु दिनांक 07.03.2024 को प्रातः 11.00 बजे एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. में स्थित भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केन्द्र, आईएसबीटी के सामने, हबीबगंज, भोपाल में उक्त वांछित मूल दस्तावेजों, उनकी छायाप्रतियों (दो सेट) एवं पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (दो प्रति) सहित स्वयं उपस्थित होवें। निर्धारित दिनांक एवं समय पर समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित न होने की स्थिति में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी